

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर

जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक...../342/जसं/तशा/औजप्र/05/डी-4, अटल नगर, दिनांक / /2019
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि., रायपुर द्वारा जिला-रायगढ़, ब्लॉक-तमनार, ग्राम-तराईमाल के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से 0.764 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन/प्रदाय की स्वीकृति।

संदर्भ:- 1. प्र.अ. का पत्र क्र. 3451577/औजप्र/छ.ग./018/691-692, दि. 10.01.2018.
2. शासन का पत्र क्र.-5406-5407/7/जसं/तशा/औजप्र/01/डी-4, दि. 20.09.2018.
3. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर का पत्र क्रमांक-305/कार्य/डी-5, दिनांक 05.03.2018.

-----00-----

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की 45वीं बैठक दिनांक 06.09.2018 में लिये गये निर्णयानुसार, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि., रायपुर (संस्थान) द्वारा जिला-रायगढ़, ब्लॉक-तमनार, ग्राम-तराईमाल के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला के नैसर्गिक स्रोत से 0.764 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. प्रकरण में औद्योगिक/पेयजल उपयोग हेतु जल आबंटन/आरक्षण/स्वीकृति के एवज में कमिटमेंट चार्जस बाबत शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 की कड़िका क्र.-1 के अनुसार संस्थान द्वारा कमिटमेंट चार्जस रु. 19,100.00 (रु. उन्नीस हजार एक सौ मात्र) की भुगतान की गई राशि, नियमित जल कर या अन्य किसी राशि में समायोजित नहीं होगी, और न ही वापसी योग्य होगी।
2. संस्थान को ग्रीष्मकाल के कम से कम 4 माह (मार्च से जून तक) की जल आवश्यकता (0.255 मि.घ.मी.) के अनुसार जल क्षति 0.089 मि.घ.मी [वाष्पीकरण, सीपेज अवशोषण (absorption) आदि हेतु लगभग 35%] सहित कुल 0.344 (0.255+0.089) मि.घ.मी. जल के संग्रहण हेतु अपने संयंत्र परिक्षेत्र में बैलेसिंग रिजरवायर (तालाब) का निर्माण स्वयं के व्यय पर अनिवार्य रूप से करना होगा। इसमें, केवल मानसून अवधि में नाले के बहाव से जल का भरण किया जायेगा। इसके साथ ही, प्रकरण में आबंटित 0.764 मि.घ.मी. वार्षिक के अतिरिक्त, उक्त जल क्षति की मात्रा 0.089 मि.घ.मी. वार्षिक हेतु भी जल-कर देय होगा।
3. संस्थान, गेरवानी नाला से जल आहरण हेतु निर्धारित स्थल से अपने संयंत्र स्थल तक जल ले जाने हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्था (इंटेकवेल का निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि) जल संसाधन विभाग के अनुमोदन उपरांत स्वयं के व्यय पर करेगा।
4. प्रकरण में प्रदायित जल की मात्रा के माप हेतु पंप हाऊस में मानक जल मापन यंत्र की स्थापना संस्थान को स्वयं के व्यय पर करनी होगी। मानक जल मापन यंत्र को विभाग द्वारा सील कर इसका नियंत्रण अपने पास रखा जावेगा। विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पम्प हाऊस में प्रवेश हमेशा सुलभ रहेगा। इसके साथ ही, मानक फ्लोमीटर का समय-समय पर जल संसाधन विभाग के सक्षम व संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में केलीब्रेशन कराया जायेगा।

5. गेरवानी नाला के नैसर्गिक स्रोत से जल ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिए भू-अर्जन एवं संबंधित जो भी समस्या आयेगी उसका निराकरण संस्थान स्वयं के व्यय पर स्वयं करेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति-2007 (यथा संशोधित) का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. संस्थान द्वारा वास्तविक जल आहरण के आधार पर स्वीकृत जल-मात्रा का आंकलन एवं समीक्षा समय-समय पर शासन द्वारा की जा सकेगी।
7. गेरवानी नाला से जल आहरण के प्रस्तावित स्थल के ऊपर एवं नीचे जल उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा। संस्थान द्वारा वांछित जल के अतिरिक्त जल के उपलब्ध होने पर उसके उपयोग हेतु भी जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा।
8. संस्थान, स्थानीय लोगों के जल उपयोग जैसे पेयजल एवं निस्तार आदि हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
9. संस्थान, उपयोग के पश्चात अपने संयंत्र से निस्सारित जल का रि-साइकलिंग करके इसका उपयोग करेगा एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार उपचार कर निस्सारित करेगा, ताकि क्षेत्र में जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न न हो।
10. संस्थान को जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व विभाग के निर्धारित प्रारूप-7(क) में मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के निर्देशानुसार/अनुमोदन उपरांत अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
11. संस्थान द्वारा स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं केप्टिव पॉवर प्लांट के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु आबंटित जल का उपयोग या दुरुपयोग नहीं करेगा।
12. संस्थान को शासन द्वारा नैसर्गिक स्रोत से औद्योगिक जल उपयोग हेतु समय-समय पर निर्धारित जल-दर पर जल कर एवं कमिटमेंट चार्जस का नियमानुसार भुगतान जल संसाधन विभाग को अनिवार्य रूप से करना होगा एवं कमिटमेंट चार्जस के संबंध में शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 द्वारा जारी विभागीय नीति का पालन संस्थान के लिए बंधनकारी होगा।
13. प्रकरण में जल प्रदाय की यह स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध आँकड़ों/परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य में किसी कारणवश नाले के जल प्रवाह में कमी होने पर शासन इसके लिए जवाबदेह नहीं रहेगा एवं इस संबंध में शासन के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य योग्य नहीं होगा।
14. शासन द्वारा कमिटमेंट चार्जस के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 के अनुसार संस्थान को इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 वर्षों के अंदर जल का उपयोग प्रारंभ करना होगा। इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा यदि जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उपयोग प्रारंभ करने की समय-सीमा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाई जा सकेगी एवं इस हेतु प्रथम वर्ष में आबंटित/आरक्षित जल की संपूर्ण मात्रा के 5% अंश एवं दूसरे वर्ष में 10% अंश की जल-कर राशि अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 3 माह के अंदर जमा करनी होगी। अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जस की निर्धारित अधिकतम 2 वर्ष की समय-सीमा के अनुसार भुगतान करने के पश्चात् भी यदि संस्थान द्वारा जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित समस्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से जल आबंटन/आरक्षण स्वयमेव समाप्त माना जायेगा एवं शासन को इस जल को अन्य किसी के उपयोग हेतु आबंटित/ आरक्षित करने की स्वतंत्रता होगी।

सहपत्र :-शून्य।

(याकुब खैर) 6/1/19

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 2576 / 342 / जसं / तशा / औजप्र / 05 / डी-4, अटल नगर, दिनांक 20/6/2019

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, ज.सं.विभाग, मंत्रालय, अटल नगर की ओर उनकी नोटशीट क्र. 17 / OFF / मंत्री / जसं. / आ. / कृ.प.म. / धा., दिनांक 28.01.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
 2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
 3. संयुक्त संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.-1, तेलीबांधा, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 4. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायगढ़ एवं
 5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़।
- की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. निदेशक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि., सिंघल हाऊस-10, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर-492007, ओर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर के पत्र क्र.-382/एसआईपीबी/2016/126, दिनांक 25.02.2017 के माध्यम से प्राप्त आपके आवेदन पत्र दिनांक-निरंक के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 7. आदेश फोल्डर।

सहपत्र :-शून्य।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग